(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) और (ख) गैर-अर्थक्षम मार्गों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। बहर-हाल, शाखा लाइनों के संचालन के वित्तीय परिणामों की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है ताकि उनकी लाभप्रदता या अलाभ प्रदता का पता लगाया जा सके। वर्ष 1989-90 की समीक्षा के अनुसार, भारतीय रेलों पर ऐसी 146 शाखा लाइनें भी थीं जो अलाभप्रद पायी गई थीं।

(ग) और (घ) हानि को कम करने के लिए सवारी गाड़ियों के बदले मिली-जुली गाड़ियां चलाना, "केवल एक इंजन" प्रणाली लागू करना, कर्मचारियों की संख्या में किफायत बरतना, बिना टिकट यात्रा को रोकना, अलाभप्रद स्टेशनों और होल्टों को बंद करना अथवा उनको ठेकेदार द्वारा परिचालित हाल्टों के रूप में परिवर्तित करना आदि जैसे विभिन्न उपाय किए गए हैं।

Metro Rail System in Delhi

*15. SHRI KAPIL VERMA:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the latest position of the proposed Metro Railway Project for Delhi;

(b) whether Government have accepted the preliminary report of R.I.T.E.S. about the project, if so, the follow-up action taken thereon; and

(c) whether the Delhi Administration have been asked to prepare a detailed project on the basis of the RITES report if so, what is the amount sanctioned for this project?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DAULAT RAM SARAN): (a) to (c) Delhi Administration had engaged the Rail India Technical & Economic Services Ltd. (RITES)) to prepare a Techno-Economic Feasibility Study for Mass Transit System in Delhi. The Study report has been submitted by RITES to Delhi Administration. A series of meetings have taken place including one between the Minister for Urban Development and the Minister for Railways where the report given by RITES has been considered. As a sequel to these meetings it has been decided that pending a detailed analysis of the report including of funds and resource availability for financing the project, the Delhi Administration should take preparatory steps for the project and in particular the steps needed for securing land in the proposed corridors. A Steering Committee has also been set up under the Chairmanship of Chief Secretary, Delhi Administration, to go into various aspects of the proposed system and to monitor preparatory action for proceessing the project further.

माल ढुलाई के लिए निर्धारित लक्ष्य

*16. श्री बलराम सिंह यादव
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेल चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही के दौरान माल ढुलाई के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था ;

(ग) वस्तुतः कुल कितने टन माल की ढुलाई की जा सकती है और रेल विभाग को इस संबंध में कितना घाटा उठाना पड़ा है ; और

(ख) क्या वर्ष की शेष अवधि के दौरान इस कमी को पूरा करने के लिए कोई विशेष और प्रभावकारी उपाय किए गए हैं; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी हां।

(ख) 153.25 मिलियन टन।

(ग) 147.28 मिलियन टन का लदान किया गया। टन भार और उपार्जन में क्रमशः 5.97 मिलियन टन और 74.24 करोड़ रुपये की कमी आई है।

(घ) यातायात लक्ष्य से आठ से नौ महीने तक पिछड़ गया हालांकि अतिरिक्त यातायात प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी है, व्यस्त काल में और अधिक यातायात की संभावना बहुत क्षीण है।

Cooperative sugar mills in Punjab

*17. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether all the cooperative sugar mills in Punjab are facing a crisis created by non-availability of sugarcane in sufficient quantity;

(b) if so, whether Government propose to take any steps to save the sugar mills in Punjab; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI RAO BIRENDRA SINGH): (a) As on 22-1-1991, co-operative sugar mills in Punjab have crushed 13.24 lakh tonnes of sugarcane during the current 1990-91 season as against 5.80 lakh tonnes on the corresponding date last season. As such all the cooperative sugar mills of the State are not facing a crisis at present due to non-availability of cane.

(b) and (c) Do not arise.

खाद्यान्नों की कमी

*18. श्री राम जेठमलानी :
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जनवरी, 1991 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "फाल्टी पालिसीज आफ सेंटर काज फूडग्रेन्स स्केर्सिटी" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पंजाब प्रशासन द्वारा खाद्यान्नों की बढ़ी हुई कीमतों को ध्यान में रखते हुए खुले बाजार में गेहूं की कुछ और मात्रा जारी करने के लिए सरकार से बार-बार अनुरोध किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है और खाद्यान्नों की बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित करने में हो रहे अनावश्यक विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पंजाब सरकार ने अनुरोध किया था कि विभिन्न रोलर फ्लोर मिलों को बेचने के लिए पंजाब में 15 से 20 हजार मीटरी टन गेहूं उपलब्ध कराया जाए। तदनुसार, भारतीय खाद्य निगम को जनवरी, और फरवरी 1991 के महीनों के दौरान पंजाब में खुले बाजार में क्रमशः 22,000 मीटरी टन और 30,000 मीटरी टन गेहूं बेचने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(ग) खुले बाजार में गेहूं की उपलब्धता में सुधार करने और मूल्यों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने की दृष्टि से भारतीय खाद्य निगम को देश के विभिन्न राज्यों में जनवरी और फरवरी, 1991 के प्रत्येक महीने में 5 लाख मीटरी टन गेहूं बेचने के लिए प्राधिकृत किया गया